# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

**डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 2537 वर्ष 2020**

सुबोध कुमार प्रसाद .....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (पहले झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के रूप में जाना जाता था), द्वारा अध्यक्ष, अभियंता भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, रांची।
2. महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, रांची विद्युत वितरण क्षेत्र, कुसई कॉलोनी, डोरण्डा, रांची।
3. विद्युत अधीक्षण अभियंता, रांची विद्युत वितरण क्षेत्र, रांची विद्युत वितरण मण्डल, रांची।
4. विद्युत कार्यपालक अभियंता (वाणिज्यिक और राजस्व), रातू विद्युत सर्किल, जिला–रांची।

.... .... उत्तरदातागण

**कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री नितिन कुमार पसारी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री मनोज कुमार, सीनियर एस0सी0, जे0बी0वी0एन0एल0

आदेश संख्या 4 दिनांक: 06.01.2021

इस मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया जाता है।

वर्तमान रिट याचिका, उत्तरदाताओं को कारण बताओ जारी करने के लिए दायर की गई है कि याचिकाकर्त्ता के किराए के परिसर में अभिप्रेरित बिजली की

चोरी के लिए 4,33,818/— रू0 का आंकड़ा कैसे आया है। उत्तरदाताओं पर कारण बताने के लिए निर्देश जारी करने के लिए आगे प्रार्थना की गई है कि क्या विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के तहत किसी भी मूल्यांकन को धारा 126 (3) और (4) के तहत लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर किया जा सकता है। याचिकाकर्त्ता ने उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने के लिए आगे प्रार्थना की है कि यदि वर्ष 1998 की बंद बिजली के कारण किसी भी राशि का याचिकाकर्त्ता से वसूली योग्य है, तो वह भी तब जब याचिकाकर्त्ता उपभोक्ता नहीं था, लेकिन उसके मृतक पिता थे।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि 27 मई, 2010 की कोतवाली (सुखदेव नगर) थाना काण्ड संख्या 353/2010 से एक प्राथमिकी, यचिकाकर्त्ता के खिलाफ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 और 138 के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उपभोक्ता संख्या आर1एलटी/8/आरडी 9257—एल0टी0आई0एस0 के खिलाफ नवंबर, 1998 से विद्युत संबंध बंद कर दिया गया और 2,66,510/— रू0 की बकाया राशि वियोग की तारीख पर मौजूद थी। पहली सूचना रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि उक्त कनेक्शन का भार 18 एच0पी0 निर्धारित करते हुए तत्कालीन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को 4,33,818/— रू0 का नुकसान हुआ था। आगे प्रस्तुत किया गया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत एक कार्यवाही लाइसेंसधारी (जे0बी0वी0एन0एल0) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शुरू की जानी थी, हालांकि, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो याचिकाकत्तार्झ को उपचार विहिन

कर देता है। याचिकाकर्त्ता ने इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के समक्ष अभ्यावेदन दिया है, लेकिन उक्त उत्तरदाताओं द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

श्री मनोज कुमार, सीनियर एस0सी0, जे0बी0वी0एन0एल0 ने उत्तरदाताओं की ओर उपस्थित होते हुए यह निवेदन किया है कि यदि याचिकाकर्त्ता वर्तमान मुद्दे पर प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन देता है, तो एक समय सीमा के भीतर एक उचित निर्णय लिया जाएगा।

पर्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्त्ता द्वारा की गई प्रार्थना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना, याचिकाकर्त्ता को वर्तमान मुद्दे पर नए सिरे से उत्तरदाता संख्या 3 के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, याचिकाकर्त्ता/उसके प्रतिनिधि को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद प्रतिवादी संख्या 3, अभ्यावदन दाखिल करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार उचित निर्णय लेगा।

रिट याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता और निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)